बीरबल – ऊँकाराम आदि प्र.सं. 07/24

नांक	आज्ञा पत्र	
[illegible].6.25	पत्रावली पेश। [illegible] उभय पक्ष [illegible] वास्ते बहस दिनांक 5.6.25 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.6.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.6.25 को पेश हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
16.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......स्वीकार...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 07 / 2024

1 बीरबल उम्र 58 साल
2 बनवारी उम्र 56 साल
3 पोखर उम्र 54 साल (नाम हजफ)
4 गिरधारी उम्र 52 साल पुत्रगण मंगलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 भैरूराम पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी कुआ अहीरावाला तन ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. फौत
1/1 श्रीमती तीजा देवी पत्नी स्व. भैंरूराम
1/2 गोदाराम पुत्र स्व. भैरूराम
1/3 मोहन पुत्र स्व. भैरूराम
1/4 सुभाष पुत्र स्व. भैरूराम
2 रामकुवार पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी कुआ अहीरावाला तन ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
3 धन्ना पुत्र मांगू
4 झिमकी पत्नी धन्ना
समस्त जाति अहीर निवासी कुआ अहीरावाला तन ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
5 पटवारी हल्का सीमारला जागीर।
6 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर।
7 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
8 घीसा पुत्र हुक्माराम
9 गोमा पुत्र हुक्माराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी कुडीवाली तन ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
10 सुरजी बेवा मांगू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 सन्ती देवी पत्नी स्व. रामकरण
12 राजेश पुत्र स्व. रामकरण
13 शिम्भूदयाल पुत्र स्व. रामकरण
14 भागीरथ पुत्र श्योदान
15 बल्ला पुत्र श्योदान
16 फूली देवी बेवा बोंदूराम
17 सीताराम पुत्र श्री बोदूराम
18 गोपाल पुत्र श्री बोदूराम
19 झिमकू पुत्री बोदूराम
जाति गुर्जर निवासी ढाणी गुर्जरावाली तन ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
20 मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा रींगस।
21 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली।
22 भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्रीमाधोपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. आदेश 43 नियम 1 (घ) सीपीसी विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण संख्या 94/2017 जीसीएमएस नम्बर 2017/0231 दायर दिनांक 01.08.2017 निर्णय दिनांक 16.01.2024 बउनवानी बीरबल आदि बनाम भैरूराम आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति :
1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ईश्वरलाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 16/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 02.11.2012 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी प्रकरण भैरूराम बनाम घीसा वगे. मुकदमा नम्बर 66/2005 के विरूद्ध विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 213, 240, 241, 242 कुल किता 4 कुल रकबा 3.89 हैक्टेयर तन ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित होकर हिस्सा 2/3 के 7/8 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 213 में बने चाह कुआ व इसमें लगे विद्युत कनेक्शन, विद्युत पंम्पिंग सेट सम्पूर्ण के प्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार घीसा, गोमा पुत्रगण हुक्मा जाति जाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनाक 25.07.1995 के आधार पर खरीद कर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का कोई संबंध या सरोकार नहीं है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में बाला–बाला दावा उनवानी भैरू बनाम घीसा वगै. दावा संख्या 66/2005 प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालता देकर प्रार्थीगण के विरूद्ध बाला बाला गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही पारित करवाकर प्रार्थीगण को बिना कोई सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये न्यायालय को मुगालता देकर दिनांक 02.11.2012 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 2.61 हैक्टेयर में से 0.39 हैक्टेयर भूमि जो दक्षिणी सीमा में खसरा नम्बर 215 सहारे पूर्व पश्चिम 266 मीटर, पश्चिमी सीमा उत्तर दक्षिण 18 मीटर व पूर्वी सीमा उत्तर दक्षिण 11 मीटर बाबत अवैधानिक तरीके से बिना किसी स्वामित्व व बिना अधिकार एंव बिना किसी कब्जा काश्त के करवाई जाकर गैर कानूनी तरीके से भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाई है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश

09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी से संबंधित मूलवाद पत्र में प्रतिवादीगण की तामीलों में प्रतिवादी संख्या 8 से 11 की तामील सर्वप्रथम आगामी पेशी 13.06.2005 के लिए साधारण तरीके से भिजवाई जाना तथा प्रतिवादीगण की इन्कारी के मय गवाह के सामने पश्चिम झांकते मकान पर चस्पा करवाई जाकर गवाह के हस्ताक्षर से होकर लौटी है तथा सम्मन पर गवाह सांवरमल पुत्र मालीराम, निवासी ढाणी कांकडवाली तन जलालपुर का नाम सम्मन के पृष्ट पर अंकित कर रखा है। इसके उपरांत प्रतिवादीगण की पुनः तामील दूसरी बार आगामी पेशी 18.04.2006 के लिए साधारण तरीके से भिजवाई जाना तथा प्रतिवादीगण की इन्कारी के मय गवाहान के सामने पश्चिम झांकते मकान पर चस्पा करवाइ जाकर गवाहों के हस्ताक्षरों के होकर लौटी है तथा सम्मन पर गवाह गोपाल व किशनाराम के नाम सम्मन के पृष्ट पर अंकित कर रखे होना प्रकट होता है। इसके उपरांत पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक से आगामी पेशी 27.11.2007 के लिए भिजवाई जाना तथा उक्त तामीले रजिस्ट्री इन्कारी से होने के आधार पर प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानते हुए उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 05.12.2007 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आधार पर वादपत्र में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में यह विवेचन करते हुए प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साधारण तामीली नोटिसों पर अंकित रिपोर्ट में यह अंकन नहीं है कि अपीलांट का मकान खुला था अथवा बंद था। तामीली रिपोर्ट पर गवाहों की वल्दीयत पता एवं दिनांक अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में अपीलांट की चस्पांदगी से तामील का कोई आदेश नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में चस्पांदगी से तामील होकर नोटिस प्राप्त होने, इस तामील को पर्याप्त या अपर्याप्त मानने का कोई अंकन नहीं है। इसके पश्चात अपीलांट के नाम जरिये रजिस्ट्री तामील करवाने का भी आदेशिका में कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंकन नहीं है। केवल मात्र 05.12.2007 की आदेशिका में जरिये रजिस्ट्री इन्कारी से तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही का अंकन है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सदभाविक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इन तथ्यों पर कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी से संबंधित मूलवाद पत्र में प्रतिवादीगण की तामीलों में प्रतिवादी संख्या 8 से 11 की तामील सर्वप्रथम आगामी पेशी 13.06.2005 के लिए साधारण तरीके से भिजवाई जाना तथा प्रतिवादीगण की इन्कारी के मय गवाह के सामने पश्चिम झांकते मकान पर चस्पा करवाई जाकर गवाह के हस्ताक्षर से होकर लौटी है तथा सम्मन पर गवाह सांवरमल पुत्र मालीराम, निवासी ढाणी कांकडवाली तन जलालपुर का नाम सम्मन के पृष्ट पर अंकित कर रखा है। इसके उपरांत प्रतिवादीगण की पुनः तामील दूसरी बार आगामी पेशी 18.04.2006 के लिए साधारण तरीके से भिजवाई जाना तथा प्रतिवादीगण की इन्कारी के मय गवाहान के सामने पश्चिम झांकते मकान पर चस्पा करवाइ जाकर गवाहों के हस्ताक्षरों के होकर लौटी है तथा सम्मन पर गवाह गोपाल व किशनाराम के नाम सम्मन के पृष्ट पर अंकित कर रखे होना प्रकट होता है। इसके उपरांत पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक से आगामी पेशी 27.11.2007 के लिए भिजवाई जाना तथा उक्त तामीले रजिस्ट्री इन्कारी से होने के आधार पर प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानते हुए उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 05.12.2007 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आधार पर वादपत्र में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में यह विवेचन करते हुए प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण मे न्यायालय द्वारा पारित की गई एकपक्षीय डिक्री में प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई सम्मन तामीलात पर एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के संबंध में मुख्य रूप से तामीलों को अवलोकन कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन होने या नहीं होने व प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया व प्रावधानों के तहत तामील हुई है या नहीं इस संबंध में परीक्षण किया जाना है। जिसके लिए सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 में स्पष्ट प्रावधन किये गये है। सिविल प्रकिया संहिता 05 नियम 17, 18, 19 की पालना की गई है या नहीं इस आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में अंतिम निर्णय पारित किया जाना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साधारण तामीली नोटिसों पर अंकित रिपोर्ट में यह अंकन नहीं है कि अपीलांट का मकान खुला था अथवा बंद था। तामीली रिपोर्ट पर गवाहों की वल्दीयत पता एवं दिनांक अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में अपीलांट की चस्पांदगी से तामील का कोई आदेश नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में चस्पांदगी से तामील होकर नोटिस प्राप्त होने, इस तामील को पर्याप्त या अपर्याप्त मानने का कोई अंकन नहीं है। इसके पश्चात अपीलांट के नाम जरिये रजिस्ट्री तामील करवाने का भी आदेशिका में कोई अंकन नहीं है। केवल मात्र 05.12.2007 की आदेशिका में जरिये रजिस्ट्री इन्कारी से तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही का अंकन है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सदभाविक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इन तथ्यों पर कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी में वर्णित अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय मे कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारें में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में मूलवाद में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने तामीली कार्यवाही एवं आदेशिका का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आदेश 09 नियम 13 का आवेदन विचाराधीन निर्णय से खारिज कर विधिक त्रुटि की है। फलत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 66/2005 बउनवानी भैरूराम बनाम घीसा में पारित एकपक्षीय निर्णय ब डिक्री दिनांक 02.11.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद संख्या 66/2005 में अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अ[illegible] कुमा[illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर